न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 70/2022

वादीया :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल जी जाति घांची निवासी मालपुरियाखुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 01/8/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुरा जिला पाली के **वर्तमान खाता संख्या 319 पुराना खाता संख्या 309 के खसरा नंबर 101 रकबा 5.4700 है0 की** वादीया व अन्य संयुक्त खातेदार की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा **आयी हुई स्थित है।** उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है, जिसमें वादीया का नाम पोनीबाई पत्नी मांगीलाल जी दर्ज है। वादीया ने उपरोक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि को जरिये बेचान रजिस्ट्री के दिनांक 26/5/1979 को बेचानकर्ता गंगाराम पुत्र रामाजी जाति जाट निवासी मालपुरियाखुर्द वालों से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जो बेचान रजिस्ट्री उप पंजीयन कार्यालय सोजत में पंजीयन सुदा है, तत्पश्चात नामान्तरण के जरिये वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। वादस्थ कृषि भूमि में वादीया के नाम से म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीया का नाम भुलवश पोनीबाई पत्नी मांगीलाल जाति घांची दर्ज कर दिया गया। जबकि वादीया की बेचान रजिस्ट्री में वादीया का नाम पेमीबाई पत्नी मांगीलाल दर्ज है तथा वादीया का वास्तविक नाम पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल है। वादीया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, इत्यादि दस्तावेजात में नाम पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल है। पेमीबाई पत्नी मांगीलाल वादीया को अपने घर परिवार व समाज में लाड प्यार से पुकारते है, जबकि वास्तविक नाम पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल है। वादीया ग्रामीण वृद्ध महिला है तथा वादीया के परिवार में पोनीबाई नाम की कोई महिला नही है, उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में हुई है। हाल ही में वादीया द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 17/05/2022 को प्राप्त करने पर मुझ वादीया को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम पोनीबाई पत्नी मांगीलाल दर्ज है, उससे पूर्व वादीया को उक्त नाम बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, इसलिए राजस्व रेकर्ड में मुझ वादीया का नाम पोनीबाई पत्नी मांगीलाल के स्थान पर पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल की खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए यह वादविरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश है। बिनायदावा वादीया द्वारा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 26/5/1979 को उक्त वादस्थ कृषि भूमि खरीद करने से तथा तत्पश्चात वादीया के नाम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

से म्यूटेशन दर्ज करने से तथा वादीया को सर्वप्रथम दिनांक 17/5/2022 को जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने से बमुकाम सोजत उत्पन्न हुआ, जिससे यह वाद अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा खामल में स्थित होने से तथा वादीया का वाद खातेदारी घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती का होने से तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत को पक्षकार बनाया गया है। वादीया का वाद खातेदारी घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती का होने से एवं वादस्थ शकुनत खामल में स्थित होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र शिवपुरा जिला पाली के **वर्तमान खाता संख्या 319 पुराना खाता संख्या 309 के खसरा नंबर 1101 रकबा 5.4700 है0** की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीया का नाम पोनीबाई पत्नी मांगीलाल के स्थान पर पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश किया जिसे शा0मि0 किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादीया स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 26.05.1979 प्रदर्श–1 है, जिसकी छाया प्रति प्रदर्श–1ए है, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश की जो प्रदर्श–2 है, भामाशाह कार्ड प्रदर्श–3 जिसकी छाया प्रति 3 ए है, आधार कार्ड प्रदर्श–4 है, जिसकी छाया प्रति प्रदर्श –4ए है। पहचान प्रत्र प्रदर्श–5 है जिसकी छायाप्रति प्रदर्श– 5ए है। जिन्है प्रदर्शितकरवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही। शहादत प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से दिनांक 10.05.2022 को शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र शिवपुरा जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 319 पुराना खाता संख्या 309 के खसरा नंबर 1101 रकबा 5.4700 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीया का नाम **पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल** के स्थान पर **पोनीबाई पत्नी मांगीलाल** की त्रुटि होना बखूबी साबित है। लिहाजा अधिवक्ता वादीया का वाद स्वीकार कर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में पेमीदेवी पत्नि मांगीलाल दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेजात दिनांक 26.05.1979 प्रदर्श–1 में वादीया का नाम पेमीदेवी अंकित है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र शिवपुरा जिला पाली के वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खाता संख्या 319 पुराना खाता संख्या 309 के **खसरा नंबर** 1101 रकबा 5.4700 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में **पोनीबाई पत्नी मांगीलाल के स्थान पर पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल** दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र शिवपुरा जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 319 पुराना खाता संख्या 309 के खसरा नंबर 1101 रकबा 5.4700 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में **पोनीबाई पत्नी मांगीलाल के स्थान पर पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल** दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीया :–		प्रतिवादी :–
1. पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल जी जाति घांची निवासी मालपुरियाखुर्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।	बनाम	1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 70/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादीया श्री गोविन्द बन्जारा एवं प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र शिवपुरा जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 319 पुराना खाता संख्या 309 के खसरा नंबर 1101 रकबा 5.4700 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड **पोनीबाई पत्नी मांगीलाल के स्थान पर पेमीदेवी पत्नी मांगीलाल** दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 01/08/2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी

सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.